www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग),
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक, 18.06.2017

सीबीआई ने घूसखोरी के मामले में सेना के कर्नल एवं तीन अन्य को गिरफ्तार किया

सीबीआई ने 50,000 रू. की कथित घूसखोरी में भारतीय सेना, पूर्वी कमाण्ड, कोलकता के योजना एवं अभियंत्रिकी शाखा के कर्नल तथा पूणे स्थित प्राइवेट कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक एवं प्रतिनिधित्वकर्ता सहित तीन अन्य को गिरफ्तार किया।

सीबीआई ने कर्नल एवं तीन अन्य जिसमें पूणे स्थित प्राइवेट कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, निदेशक व कोलकता के प्रतिनिधित्वकर्ता शामिल हैं, के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी तथा भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा, 1988 की धारा 7, 12, एवं 13(2) के साथ पठित धारा 13(1)(डी) के तहत दिनांक 17/06/2017 को मामला दर्ज किया। ऐसा आरोप था कि कर्नल ने पावर पैक रॉक स्प्लीटर्स, जिसका सेना में विभिन्न क्षेत्र निर्माण में प्रयोग किया जाता है, की आपूर्ति के सन्दर्भ में उक्त कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक से 1.80 लाख रू. की घूस की मॉग की। पूर्व में, कर्नल ने फरवरी, 2017 के दौरान, तथाकथित 50,000 रू. की घूस की मॉग व स्वीकार की तथा घूस की दूसरी किश्त के तौर पर, कर्नल ने अब आरोपी कम्पनी से 50,000 रू. स्वीकार किया। सीबीआई ने उक्त प्राइवेट कम्पनी के निदेशक जो कि पूणे से कर्नल को घूस देने आया एवं उसे कर्नल को घूस के भुगतान करने के बाद पकड़ा गया। सीबीआई ने कर्नल को पकड़ा एवं उसके निवास से घूस राशि बरामद किया।

पूणे में चार एवं कोलकाता के दो स्थानों पर तलाशी की गई।

गिरफ्तार आरोपियों को आज नामित अदालत के समक्ष पेश किया जा रहा है। आगे की जॉच जारी है।

****